

डाक विभाग, भारत सरकार
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, ओडिशा परिमंडल
भुवनेश्वर-751001

सं. आरई/20-1/2021 (सी ओ आर आर)/सीएच-1

दिनांक: 20/21.09.2022

अधिसूचना

विषय:- 7वीं सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-02 में स्टाफ कार/एमएमएस चालक (साधारण ग्रेड) (सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप सी, अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी) के ग्रेड में डाक विभाग ओडिशा परिमंडल की विभिन्न डाक इकाइयों में प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के आधार पर 7 (सात) रिक्तियों को भरना है, जिसमें विफल होने पर अन्य मंत्रालयों से प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति या सशस्त्र बल कर्मियों के पुनः नियोजन के संबंध में।

डाक विभाग, संचार और आईटी मंत्रालय के अधीन ओडिशा डाक सर्किल की विभिन्न डाक इकाइयों में वेतन मैट्रिक्स लेवल - 02 में 7वें सीपीसी के अनुसार स्टाफ कार/एमएमएस ड्राइवर (साधारण ग्रेड) (सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रेड सी, गैर-राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी) की 7 (सात) रिक्तियों में प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर भर्ती होने का प्रस्ताव है , जो विफल होने पर अन्य मंत्रालयों से प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति या सशस्त्र बल कर्मियों के पुनर्नियोजन पर होगा ।

रिक्ति का विवरण इस प्रकार है:-

| क्रमांक सं. | रिक्तियों का प्रकार | रिक्ति की कुल संख्या |
|-------------|--|----------------------|
| (क) | निरीक्षण वाहन के लिए स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) | 02 |
| (ख) | एमएमएस चालक | 05 |
| कुल | | 07 |


1. पात्रता शर्तें:

(i) डाक विभाग में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति / आमेलन:

डाक विभाग में 7वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल - 01 में नियमित डिस्पैच राइडर (ग्रुप सी) और ग्रुप सी कर्मचारियों में से, जिनके पास हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिए ट्रेड टेस्ट / ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर हल्के और भारी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है।

(ii) केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय और सशस्त्र बल कार्मिक:-

7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल-01 में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर या नियमित ग्रुप सी का पद धारण करने वाले कर्मचारियों से जो निम्नानुसार निर्धारित आवश्यक योग्यता को पूरा करते हैं:-


Asst. Director (Recruitment)
O/o the Chief Postmaster General
Odisha Circle, Bhubaneswar-751001

- (i) हल्के और भारी मोटर वाहन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का कब्जा।
- (ii) मोटर तंत्र का ज्ञान (उम्मीदवार वाहन में मामूली दोषों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)।
- (iii) कम से कम तीन साल के लिए हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का अनुभव।
- (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए: सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और अपेक्षित अनुभव और निर्धारित योग्यता रखने पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर दिया जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र बलों से रिहा होने वाले हैं, उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।

2. वेतन का विनियमन और प्रतिनियुक्ति/आमेलन की अन्य शर्तें :- वेतन मैट्रिक्स लेवल -02 7वें सीपीसी के अनुसार और वेतन नियम के अनुसार नियमित किया जाएगा।

3. आयु सीमा - प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स-कैंडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण - प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

6. परिवीक्षा की अवधि - पुनः नियोजित करने के लिए दो वर्ष।

7. आवेदन (दो प्रतियों में) केवल उन पात्र उम्मीदवारों के निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-1) में भरा जा सकता है, जिनकी सेवाओं को चयन के तुरंत बाद अग्रेशन प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (प्रोफार्मा अनुलग्नक II में) सहित निम्नलिखित दस्तावेज के साथ दिया जा सकता है:-

- (i) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र।
- (ii) पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाए गए बड़े/छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो (यदि कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है तो "शून्य" प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)।
- (iii) सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र।
- (iv) पिछले पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के लिए एसीआर की सत्यापित फोटोकॉपी (एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापित) (जहां लागू हो)।